


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
09.03.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण संख्या 01,02 एवं 04 के अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. सुमेरपुर के अधिवक्ता द्वारा विचाराधीन मूल निगरानी याचिका में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 (ख) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर मूल निगरानी याचिका को विद्धो करने करने का निवेदन करने पर मूल निगरानी को निरस्त किये जाने से स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का औचित्य नहीं रहने से स्थगन प्रार्थना पत्र पत्रावली को खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के सलंगन नत्थी की जाए।</p> <p>  <b>अतिरिक्त जिला कलेक्टर</b>  <b>बाली, जिला-पाली</b></p>